<u>2026 का विधेयक सं. 7</u>

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (ठ) हटाया जायेगा;

(ii) विद्यमान परन्तुक का खण्ड (iv) हटाया जायेगा; और

(iii) विद्यमान **स्पष्टीकरण-I** हटाया जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 पंच या सदस्य के लिए सामान्य निरर्हताओं का उपबंध करती है। इस धारा का खण्ड (ठ) यह बताता है कि कोई व्यक्ति जिसके दो से अधिक बच्चे हैं तो, वह किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा।

राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि बड़ी संख्या में व्यक्ति, जो जनता को प्रेरित करने और उनकी सेवा करने की क्षमता रखते हैं और पंचायत जैसी संस्था का मार्गदर्शन करने की परिकल्पना रखते हैं, जिन्हें दो से अधिक बच्चे होने के कारण पंच या पंचायती राज संस्था का सदस्य बनने का अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए, राज्य सरकार ने 1994 के उक्त अधिनियम की धारा 19 से इस निरर्हता को हटाने का विनिश्चय किया है।

तदनुसार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

मदन दिलावर,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

19. किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं.- किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायती राज संस्था के पंच या, यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति-

(क) से (ट) XX XX XX XX

(ठ) दो से अधिक बच्चों वाला नहीं है;

(ड) से (थ) XX XX XX XX

परन्तु-

(i) से (iii) XX XX XX XX

(iv) खण्ड (ठ) के प्रयोजन के लिए,-

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख, जिसे इस परन्तुक में आगे ऐसे प्रारम्भ की तारीख कहा गया है, से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मे किसी अतिरिक्त बच्चे पर विचार नहीं किया जायेगा;

(ख) कोई व्यक्ति जिसके दो से अधिक बच्चे हैं (ऐसे प्रारम्भ की तारीख से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मा बच्चा, यदि कोई हो, को छोड़कर), उस खण्ड के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को रही उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं होती;

(ग) बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे बच्चे को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मा हो और दिव्यांगता से ग्रस्त हो।

स्पष्टीकरण.- शब्द "दिव्यांगता" में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित होगी।

(v) XX XX XX XX

स्पष्टीकरण-I- धारा 19 के खण्ड (ठ) के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या तत्पश्चात् जहां किसी दम्पती के पूर्ववती प्रसव या प्रसवों से केवल एक बच्चा हो वहां किसी एक ही पश्चात्वर्ती प्रसव से पैदा हुए बच्चों की किसी संख्या को एक इकाई समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण-II- XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

Bill No. 7 of 2026

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2026

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994),-

(i) the existing clause (l) shall be deleted;

(ii) the existing clause (iv) of proviso shall be deleted; and

(iii) the existing **Explanation-I** shall be deleted.

____

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) provides general disqualifications for members of a panchayat. Clause (i) of this section stipulates that a person having more than two children shall be disqualified for being chosen as or for being a member of a panchayat.

It has come into the notice of the State Government that a great number of persons having the ability to inspire and serve the public and a vision to lead an institution such as panchayat do not get an opportunity for being a member of panchayat for the reasons that he or she has more than two children. Therefore, the State Government has decided to remove this disqualification from section 19 of the said Act of 1994.

Accordingly, section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 is proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

मदन दिलावर,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN

PANCHAYATI RAJ ACT, 1994

(Act No. 13 of 1994)

XX XX XX XX XX

19. Qualifications for election as a Panch or a member.- Every person registered as a voter in the list of voters of a Panchayati Raj Institution shall be qualified for election as a Panch or, as the case may be, a member of such Panchayati Raj Institution unless such person-

(a) to (k) xx xx xx xx

(l) has more than two children;

(m) to (q) xx xx xx xx

Provided that -

(i) to (iii) xx xx xx xx

(iv) for the purpose of clause (1),-

(a) the birth during the period from the date of commencement of this Act, hereinafter in this proviso referred to as the date of such commencement, to 27th November, 1995, of an additional child shall not be taken into consideration;

(b) a person having more than two children (excluding the child if any, born during the period from the date of such commencement, to 27th November, 1995) shall not be disqualified under that clause for so long as the number of children he had on the date of commencement of this Act does not increase;

(c) while counting the total number of children a child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

Explanation.- The word "disability" shall include any type of disabilities specified in or under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016).

(v) xx xx xx xx

Explanation-I.- For the purpose of Clause (l) of Section 19, where the couple has only one child from the earlier delivery or deliveries on the date of commencement of this Act and thereafter, any number of children born out of a single subsequent delivery shall be deemed to be one entity.

Explanation-II.- xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

<u>Bill No. 7 of 2026</u>

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2026

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

(Madan Dilawar, **Minister-Incharge**)

<u>2026 का विधेयक सं. 7</u>

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(मदन दिलावर, **प्रभारी मंत्री)**